2015|00041

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57/2015 (अपील)

उनवान

गोपाल आ0 नाथूलाल जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह आत्मज भीमसिंह जाति राजपूत निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह अडसेला (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोपाल दत्त शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 13.08.2015

निर्णय दिनांक : 14.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 13.08.2015 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश 13.08.2015 जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट में कथन किया है कि खातेदार चन्दा आत्मज मंगला पासवान के खाते मे वर्तमान ख0 नं0 224 की 0.36 हैक्टर भूमि वाकें ग्राम ककरावदा मे दर्ज चली आ रही थी । उक्त आराजी पूर्व खातेदार कलादार सिंह द्वारा गांव/समाज के राव/डोली के कार्य करने हेतु माफी मे दी गयी थी । कलादार सिंह के दो लडकियां थी पुत्र नही था इसलिये पगडी की रस्म के समय भीमसिंह साले का लडका को ककरावदा बुलाया गया और कलादार सिंह द्वारा भीमसिंह की 50 बीधा भूमि व पहली खानपुर वाली लडकी को 50 बीधा भूमि व अपीलाधीन भूमि चन्दा पासवान को राव के कार्य हेतु तथा शेष भूमि दूसरी लडकी को दी । कलादार सिंह व चन्दा पासवान की मृत्यु हो गयी । चन्दा पासवान जब तक जिन्दा रहा उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा । चन्दा पासवान के कोई ओलाद नही थी । इस कारण कलादार सिंह ने उक्त चन्दा पासवान की भूमि को उनके जवाई बलवन्त सिंह को दे दी और बलवन्त सिंह ने उक्त अपीलाधीन भूमि को दिनांक 10.05.84 को बेचान कर दी । तब से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर चला आ रहा है । चन्दा पासवान ने कोई वसीयत आलेखित नही की किन्तु रेस्पो0 नं0 1 ने चन्दा पासवान की वसीयत दिनांक 10.04.78 अपने नाम होना बताकर चन्दा पासवान की मृत्यु वर्ष 1980 मे हो जाने के 35 वर्ष पश्चात अपने नाम नामान्तरकरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर रेस्पो0 नं0 2 ने रेस्पो0 नं0 1 से मिली भगत कर चन्दा पासवान की वसीयत नामान्तरकरण रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष

मे विवादित भूमि के साथ अन्य भूमि का भी खोले जाने का आदेश प्रदान करते हुए नामा0 सं0 626 तस्दीक कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक चन्दा पासवान की तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पो0 नं. 1 के नाम इंतकाल तस्दीक करने का आदेश पारित करने मे त्रुटि की है । अधिनस्थ न्यायालय इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व ख0 नं0 224 की 0.36 हैक्टर भूमि पर मौके के कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब नही की गयी और न कब्जे की जांच की गयी है और बिना कब्जे की जांच किये अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष मे नामा0 तस्दीक करने का आदेश पारित करने मे त्रुटि की है । विवादित भूमि चन्दा के नाम दर्ज चली आ रही थी । चूंकि अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था इस कारण अपीलान्ट को फसल मुआवजा राशि प्राप्त हुई है । बाद मे पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज करने व नामान्तरकरण आदेश जारी होने के बाबत दिनांक 12.10.2015 को बताने पर जानकारी हुई इस पर नकल आदेश की जानकारी कर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2015 को पेश किया जिस पर दिनांक 14.10.2015 को नकल प्राप्त हुई और जानकारी की तिथि से नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट प्रस्तुत कर दिनांक 13.08. 2015 से 12.10.2015 जानकारी के दिन व नकल के दिन कन्डोन करते हुए अपील अवधि मध्य स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13. 08.2015 खसरा नं0 224 की 0.36 हैक्टर तक सीमा तक निरस्त कर कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के नाम खोले जाने का निवेदन किया गया।

5. वकील रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपनी बहस मे जाहिर किया कि रेस्पो0 नं0 1 द्वारा दिनांक 22.07.2015 को अधिनस्थ न्यायालयय मे अनरजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर नामा0 दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहान के बयान लेकर चन्दा वल्द मंगला कौम पासवान के खाते की आराजी ख0 नं0 224 रकबा 0.36 हैक्टर वाके ग्राम ककरावदा तहसील पीपल्दा आराजी को रेस्पो0 नं. 1 के पक्ष मे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2015 की पालना मे नामान्तरकरण सं0 628 तस्दीक किया गया है । जो विधि अनुरूप होने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत ककरावदा पं0 सं0 इटावा के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चंदा पासवान की मृत्यु दिनांक 31.12.80 को हुई । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 22. 07.2015 को प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर 35 वर्ष पश्चात बाद जांच नामा0 दर्ज किया है । अपीलांट द्वारा भूमि क्रय के संबंध मे कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश नही किया गया । विक्रय के संबंध मे सिर्फ एक तथाकथित लिखावट के आधार पर अपीलान्ट भूमि का नामा0 अपने नाम दर्ज कराना चाहते है । अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय मे वाद पेश करने पर ही अपीलांट को अनुतोष प्राप्त हो सकता है । अपीलान्ट द्वारा पेश किए गये दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण उसके नाम तस्दीक नही किया जा सकता ।

7.. अत : अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.08.2015 यथावत रखा जाता है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा